सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 26/2018

1. टहल सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिंख निवासी शरकज नहर कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मलासिंह पुत्र जगतार सिंह जाति रायसिंख निवासी शरकज नहर कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. इन्द्रजीत सिंह जंगीर सिंह जाति रायसिख निवासी 1 ए बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट,
2. बलविन्द्रसिंह पुत्र जीत सिंह जाति रायसिंख निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–25.04.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट ने जैर बहस पर किस तारीख को नाजायज कब्जा किया व क्या कार्यवाही की गई, जबकि उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कब्जा पुराना दादा के समय का चला आ रहा है तथा आवंटन के आवेदन पत्र भी विचाराधीन है । अतः मामला धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का किसी प्रकार से नहीं बनता था। अपीलान्टस के दादा सौदागरसिंह व अपीलान्टस के पिता जगतार सिंह का बहुत पुराना कब्जा होने व पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र पेश होने व कार्यवाही विचाराधीन होने से भी मामला धारा 22 का कतई नहीं बनता था। धारा 22 के प्रावधान वही लागु होते है जहां कि रकबा उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अलाट होता हो मगर इस चक के रकबा का आवंटन ही जब गंगकैनाल परमानेन्ट अलाटमेंट रूल्स के प्रावधानों के अन्तर्गत ही होता है तो धारा 22 के प्रावधान लागू ही नहीं करते। कालान्तर में भी कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में ही की गई। इस प्रकार से आदेश गलत पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने जवाब भी पेश किए मगर अदालत मातहत ने इन जवाब में अंकित तथ्यों के बारे में ना तो कोई विवेचन किया ना ही कोई फाईडिंग दी है जब टी.सी. बन्द हो जाने, नवीनीकरण बन्द हो जाने से पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र ही विचराधीन है तो किसी प्रकार से अतिक्रमी माना ही नहीं जा सकता ना ही धारा 91 व ना ही धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का बनता है। राजस्थान गंगकैनाल अलाटमैन्ट नियम के संशोधन 9 बी के प्रावधानों के अनुसार यदि कब्जा 2000 से 7 साल पूर्व से तथा निरन्तर हो तो अधिक से अधिक डी.एल.सी. रेट से राशि ही जमा करवाई जा सकती है ना कि किसी प्रकार से बेदखल करने का आदेश कानूनन किया जा सकता है मगर अदालत मातहत ने इस अहम कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया। अदालत मातहत के द्वारा ना तो कोई कानुनी प्रक्रिया अपनाई गई तथा ना ही नियमों की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पालना की गई तथा ना ही अपीलान्टस को साक्ष्य का अवसर दिया गया बल्कि जवाब नोटिस पेश होने पर गलत तौर से आदेश जेर अपील पारित कर दिया गया। पटवारी ने कही यह नहीं लिखा था कि अब किस तारीख को खरीफ रबी 2074 में नाजायज कब्जा किया है बल्कि कब्जा जब 1952 से ही चला आ रहा है तो यह कयास नहीं लिया जा सकता कि गेहु की फसल बारानी रकबा में नाजायज काश्त की हो। अपीलान्टस ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उन्होने कभी नाजायज कब्जा नहीं किया बल्कि कब्जा पुराना चला आ रहा है व आवंटन का पुख्ता आवंटन का मामला विचाराधीन है। अतः अदालत मातहत को साक्ष्य पेश करने व समस्त रिकार्ड मंगवाकर देख कर ही कोई आदेश पारित करना था मगर ना तो रिकार्ड मंगवाया ना ही सबूत पेश करने का अवसर दिया गया जब कब्जा प्रतिभूमि राशि का आदेश के अन्तर्गत चला आ रहा है तो वह अतिकमी की परिभाषा में कतई नहीं आता ना तो धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान तथा ना ही धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागु करते है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने जैर बहस किस तारीख को नाजायज कब्जा किया व क्या कार्यवाही की गई, के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कब्जा पुराना दादा के समय का चला आ रहा है तथा आवंटन के आवेदन पत्र भी विचाराधीन हैं। अतः मामला धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का किसी प्रकार से नहीं बनता था। अपीलान्टस के दादा सौदागरसिंह व अपीलान्टस के पिता जगतार सिंह का बहुत पुराना कब्जा होने व पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र पेश होने व कार्यवाही विचाराधीन होने से भी मामला धारा 22 का कतई नहीं बनता था। धारा 22 के प्रावधान वही लागू होते है जहां कि रकबा उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अलाट होता हो मगर इस चक के रकबा का आवंटन ही जब गंगकैनाल परमानेन्ट अलाटमेंट रूल्स के प्रावधानों के अन्तर्गत ही होता है तो धारा 22 के प्रावधान लागू ही नहीं होते। कालान्तर में भी कार्यवाही धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में ही की गई। रेस्पोडेन्ट ने जवाब भी पेश किए मगर अदालत मातहत ने इन जवाब में अंकित तथ्यों के बारे में ना तो कोई विवेचन किया ना ही कोई फाईडिंग दी है जब टी.सी. बन्द हो जाने, नवीनीकरण बन्द हो जाने से पुख्ता आवंटन के प्रार्थना पत्र ही विचराधीन है तो किसी प्रकार से अतिकमी माना ही नहीं जा सकता ना ही धारा 91 व ना ही धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का केस बनता है। राजस्थान गंगकैनाल अलाटमैन्ट नियम के संशोधन 9 बी के प्रावधानों के अनुसार यदि कब्जा सन् 2000 से 7 साल पूर्व से तथा निरन्तर हो तो अधिक से अधिक डी.एल.सी. रेट से राशि ही जमा करवाई जा सकती है ना कि किसी प्रकार से बेदखल करने का आदेश कानूनन किया जा सकता है मगर अदालत मातहत ने इस अहम कानुनी बिन्दु पर गौर नहीं किया। अदालत मातहत के द्वारा ना तो कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तथा ना ही नियमों की पालना की गई तथा ना ही अपीलान्टस को साक्ष्य का अवसर दिया गया बल्कि जवाब नोटिस पेश होने पर गलत तौर से आदेश जेर अपील पारित कर दिया गया। अपीलान्टस ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उन्होने कभी नाजायज कब्जा नहीं किया बल्कि कब्जा पुराना चला आ रहा है व आवंटन का पुख्ता आवंटन का मामला विचाराधीन है। अतः अदालत मातहत को साक्ष्य पेश करने व समस्त रिकार्ड मंगवाकर देख कर ही कोई आदेश पारित करना था मगर ना तो रिकार्ड मंगवाया ना ही सबूत पेश करने का अवसर दिया गया जब कब्जा प्रतिभूति राशि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

का आदेश के अन्तर्गत चला आ रहा है तो वह अतिक्रमी की परिभाषा में कतई नहीं आता। ना तो धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान तथा ना ही धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधान लागु करते है। अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निम्न नजीरे पेश कीः–

1. आर.आर.टी. 2004(2) पेज– 995
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकःप.4(16)उप/99/दिनांक 25.11.2004
3. आर.बी.जे.(15)2008 पेज– 864

हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत/अधिसूचना अपीलार्थी की सहायता करते प्रतीत नहीं होते।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट जरिये केविट प्रार्थना उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि मौके पर राजकीय भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर काश्त की इसलिए उसके विरूद्व धारा 22 के तहत कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट ने बाद सुनवाई बेदखली के आदेश पारित कर फसल कुर्क कर दी है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस दस्तावेजात पेश किये , जो शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थी पंजाब के निवासी है, जिसकी जांच श्री रामलुभाया (आई.ए.एस.) उपजिलाधीश (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच दिनांक 04.07.1981 भू0अ0 मिसल नम्बर 121/81 अनवानी मु0 गुरदेव कौर बेवा ज्ञान सिंह जाति रायसिंख निवासी खंखा में अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह को पंजाब का निवासी होना बताया है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 07.06.1983 में भी उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय को बहाल रखा जाकर विवेचन किया कि " **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय इस बिन्दु पर ठोस आधार पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर जिस कुशाल बुद्वि से दूध और पानी को अलग करने में अपनी सक्षमता दिखाई है वह सराहनीय है और वास्तव में राज्य सरकार ने जिन अधिकारीयों पर आवंटन का दायित्व छोडा है उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे इसी प्रकार विस्तृत जांच कर आवंटन उन्ही व्यक्तियों के पक्ष में करें जो हकदार है"।** उक्त निर्णयों की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या 188/83/निगरानी/एल.आर./गंगानगर निर्णय दिनांक 17.08.1988 में बहाल रखा है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थीगण पंजाब के निवासी नही है। जिस हेतु अधिवक्ता अपीलार्थी ने पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1994, आधार कार्ड माला सिंह, वोटर कार्ड माला सिंह, परिवार राशन कार्ड माला सिंह वर्ष 2013, वोट वर्ष 1989 , वर्ष 1955 सौदागर सिंह पुत्र अमीर सिंह, वोट वर्ष 1993 माला सिंह पुत्र जगतारसिंह व अन्य दस्तावेजात पेश कर कथन किया कि वह पंजाब के निवसी नही है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में भूमि अपीलार्थी पक्ष के पूर्वज को अस्थाई आवंटन में कुछ अवधि तक बहुत लम्बे अर्से पूर्व आवंटित रही परन्तु उन्हें बावजूद आवेदन पुख्ता आवंटित नहीं हुई और न ही नवीनीकृत हुई। अपीलाधीन आदेश में निहित भूमि का माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर (आरएए) के निर्णय दिनांक 06.01.1993 की पालनाा में कब्जा बहक सरकार लिया गया अभिलेख पर प्रमाणित है। उक्त रकबा मौके पर पटवारी हल्का कोठा की रिपोर्ट दिनांक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

26.05.2005 से खाली होना प्रमाणित है। आर.ए.ए. के उक्त निर्णय की अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में की गई थी जो दिनांक 16.04.2001 को डिसमिस (खारिज) हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मौके पर भूमि राज्य सरकार में निहित होकर बाकायदा राजस्व रिकॉर्ड में अनाधिवासित प्रतिवेदित है। लिहाजा अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता ।अपीलार्थी पंजाब राज्य के निवासी होने के कारण इस भूमि पर आवंटन का आवेदन/दावा करने के अधिकारी भी नहीं ठहरते और इसलिए उनके पक्ष में माममला कतई नहीं है। अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट दिनांक 02.04.2018 द्वारा चक शरकज नहर कोठा के मु.न. 4/0.480, 5/1.301, 10/0.265, 11/0.466 कुल 2.512 हैक्टर बारानी रकबा राज रिकार्ड दर्ज भूमि पर अपीलार्थी माला सिंह–टहल सिंह , पि0 जगतार सिंह जाति रायसिख निवासी शरकज नहर कोठा एवं इन्द्रजीत सिंह पि0 जंगीर सिंह जाति रायसिंख निवासी 1 बी बडा ने गेहू की नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अप्रार्थीगण की सुनवाई कर रकबा राज बारानी भूमि पर रबी सम्वत् 2074 में गेहूँ की नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। इस आदेश के जरिये कुर्क शुदा फसल की नीलामी की कार्यवाही को भी प्रस्तुत फर्द्द नीलामी दिनांक 4.4.2018 को अंतिम कर दिया गया है। अपीलार्थी पंजाब के निवासी है, जैसा कि श्री रामलुभाया (आई.ए.एस.) उपजिलाधीश (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी जांच दिनांक 04.07.1981 भू0अ0 मिसल नम्बर 121/81 अनवानी मु0 गुरदेव कौर बेवा ज्ञान सिंह जाति रायसिंख निवासी खंखा में अपीलार्थीगण के पिता जगतार सिंह को पंजाब का निवासी होना बताया है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 07.06.1983 में भी उपजिलाधीश श्रीगंगानगर के निर्णय को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बहाल रखा जाकर विवेचन किया कि " **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय इस बिन्दु पर ठोस आधार पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर जिस कुशाल बुद्वि से दूध और पानी को अलग करने में अपनी सक्षमता दिखाई है वह सराहनीय है और वास्तव में राज्य सरकार ने जिन अधिकारीयों पर आवंटन का दायित्व छोडा है उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे इसी प्रकार विस्तृत जांच कर आवंटन उन्ही व्यक्तियों के पक्ष में करें जो हकदार है"।** उक्त निर्णयों की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी संख्या 188/83/निगरानी/एल.आर./गंगानगर में होने पर मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.08.1988 में इन्हें बहाल रखा है। इस विवेचन से नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2018 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट का बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/4/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।